भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 594

जिसका उत्तर गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति

594 डा. प्रशांत नन्दा :

डा. अमर पटनायक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों सहित न्यायालयों में न्यायाधीशों के बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश में न्यायाधीशों की कतिपय संख्या में नियुक्ति की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान नियुक्त हुए न्यायाधीशों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक, सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित हैं, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग और उन्नयन के कारण रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं । सरकार समयबद्ध रीति में शीघ्रतापूर्वक रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(तारीख 14.07.2022 तक)

क्र. सं.	**न्यायालय**	**वर्ष**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022 (तारीख 14.07.2022 तक)**
1.	उच्चतम न्यायालय	08	10	-	09	02
2.	उच्च न्यायालय	108	81	66	120	79

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है । इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के विषय के संबंध में नियम और विनियम विरचित करती है । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, संबंधित उच्च न्यायालय कतिपय राज्यों में इसे करता है, जब कि उच्च न्यायालय अन्य राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से इसे करता है ।

संघ सरकार की संविधान के अधीन जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के चयन और नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मझहर मामले में 04 जनवरी, 2007 के अपने आदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए पालन किए जाने वाली एक प्रक्रिया और समय-सीमा तय की जिसमें यह कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च से प्रारंभ होनी चाहिए और उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक समाप्त की जानी चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों या अन्य सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर किसी कठिनाई के मामले में समय-सीमा में भिन्नताओं के लिए राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों को अनुज्ञात किया है ।

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में न्याय विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जरनल को मलिक मझहर निर्णय की एक प्रति भेजी है । न्याय विभाग ने मलिक मझहर मामले में दिए गए आदेशों के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका में शीघ्रता से रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जरनल को समय-समय पर लिखा है ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बढ़ी हैं जो निम्नानुसार हैः-

यथास्थिति	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
30.06.2016	21,320	16,383
15.07.2022	24,631	19,289

****